न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोट रीवा (म0प्र0)

R-1285-I/12

1— दरवारी लाल सोनी उम्र 70 वर्ष तनय स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद सोनी, निवासी–रामपुर बाघेलान जिला सतना (म0प्र0)

2— शोभनाथ सोनी उम्र 65 वर्ष तनय स्व0 रामेश्वर प्रसाद सोनी, निवासी रामपुर बाघेलान जिला सतना (म0प्र0)

3— सुमित्री देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर प्रसाद सोनी, निवास–रुहिनियां, पोस्ट–बरवाड़ा, तहसील व जिला कटनी (म0प्र0)

——निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम

1— भोला प्रसाद सोनी उर्फ शेषनारायण सोनी तनय स्व0 द्वारिका सोनी एवं माता का नाम स्व0 बतिया बाई सोनी उर्फ सूरजवती, निवासी–गोड़पारा, राजाराम मंदिर के पास विलासपुर (छत्तीसगढ़)

2— श्रीमती प्रेमा सोनी माता वतिया बाई सोनी उर्फ सूरजवती सोनी पत्नी स्व0 दादू सोनी, निवासी–ग्राम बरहना (ग्राम कोठी के पास) जिला सतना (म0प्र0) **—— गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण**

निगरानी विरुद्ध निर्णय आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय रामपुर बाघेलान, जो प्र0क्र0 24 अपील 2011—12 में दिनांक 27/03/2012 को पारित की गई

निगरानी अंगतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

(२५१)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1285 –I / 2012 जिला–सतना

दरवारीलाल सोनी / भोला प्रसाद सोनी

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 24 / अपील / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	